

यदि फ्रैंचाइज़ी ,वेंडरशिप या एजेंसी अपना अग्रीमेंट रद्द करना चाहता है तो उसे निचे दिए गए नियम व शर्तें पूरी करनी होंगी उसी के बाद फ्रैंचाइज़ी ,वेंडरशिप या एजेंसी को उसका अमाऊंट कम्पनी और फ्रैंचाइज़ी ,वेंडरशिप या एजेंसी के एग्रीमेंट के अनुसार वापस किया जायेगा

- क्लोज़िंग फ़ॉर्म स्कैन कॉपी
- प्रपोजल फ़ॉर्म स्कैन कॉपी
- एग्रीमेंट - फ्रैंचाइज़ी या वेंडरशिप स्कैन कॉपी
- आधार कार्ड स्कैन कॉपी
- पैन कार्ड स्कैन कॉपी
- ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन कॉपी
- बैंक स्टेटमेंट लास्ट ३ माह की स्कैन कॉपी
- कम्पनी को दिया गए अमाऊंट का डिटेल् , NEFT, RTGS, IMPS और Cheque स्कैन कॉपी
- कम्पनी को दिया गए अमाऊंट की दिनाक स्कैन कॉपी
- रजिस्टर्ड फ़ोन नम्बर
- रजिस्टर्ड ईमेल आईडी

यदि कम्पनी ने आप को

अपने ग्राहक का कोई सामान जैसे पैकेट, पार्सल, कार्गो, या e-commerce पार्सल या अन्य कोई वस्तु व्यापार को शुरू करने या किसी वस्तु को कम्पनी के ग्राहक तक पहुंचाने के लिए दिया है और वह वस्तु फ्रैंचाइज़ी ,वेंडरशिप या एजेंसी ने ग्राहक को डिलीवरी नहीं किया है तो उस वस्तु को कम्पनी के हेड ऑफिस में वापस करना होगा

जब ये सभी processes पूरा हो जायेगा तो कम्पनी आप का राशि आप के बैंक खाते में भेज देंगी

धन्यवाद

लीगल टीम

फ्यूचर ट्री ग्रुप

Information

If the Franchisee, Vendors or Agency wants to cancel the agreement, then he has to fulfill the following terms and conditions, after that the amount will be refunded as per the agreement of the Company.

- Closing form scan copy
- Proposal form scan copy
- Agreement scanned copy
- Adhaar card scan copy
- Pan card scan copy
- Driving license scan copy
- Scan copy of bank statement last 3 months
- Amount given to the company, NEFT, RTGS, IMPS and Cheque scan copy
- Date scan copy of the amount given to the company
- Registered phone number
- Registered email id

If the company has given any goods such as packets, parcels, cargo, or e-commerce parcels or any other item for the commencement of business or for delivery and not been delivered by the franchisee, vendor or agency, then that item has to be returned to the head office of the company.

When all these process is completed then the company will send your amount to your bank account.

Regards

Team Future Tree

Legal Dept.